



ई-मेल-arms.jeh.bih@gmail.com

पत्रांक

# समाहरणालय, जहानाबाद ।

वेबसाईट-jehanabad.bih.nic.in

(जिला शस्त्र शाखा)

दूरभाष/फैक्स-06114-223142

दिनांक-



## आदेश

आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री सुजीत कुमार, पिता-स्व० राजेन्द्र सिंह, ग्राम-लाट, थाना-हुलासगंज, जिला-जहानाबाद द्वारा आवेदन के माध्यम से स्वयं धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०-473/498/2005-हुलासगंज थाना, UIN-051640008207902014, राईफल नं०-AB05-09-703 (.315) बोर का क्षेत्र वैद्यता "संपूर्ण बिहार" के लिए विस्तार हेतु अनुरोध किया गया है। इनकी अनुज्ञप्ति का सीमा क्षेत्र की मान्यता पटना एवं मगध प्रमण्डल है तथा अनुज्ञप्ति वर्ष 31.12.2022 तक नवीकृत है।।

अतः शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री सुजीत कुमार से प्राप्त आवेदन पर आयुध नियम-2016 के नियम-19 की कंडिका-(1) के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद द्वारा संचिका सं०-XVII-3/2012 में पारित आदेश दिनांक-19.06.2021 के द्वारा आवेदक श्री सुजीत कुमार, पिता-स्व० राजेन्द्र सिंह, ग्राम-लाट, थाना-हुलासगंज, जिला-जहानाबाद का शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०-473/498/2005-हुलासगंज की विधि मान्यता क्षेत्र विस्तार "संपूर्ण बिहार" करने की स्वीकृति दी गई है।

(जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद का आदेश दिनांक-19.06.2021, संचिका सं०-XVII-3/2012)

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,  
जहानाबाद।

ज्ञापांक-.....56...../शस्त्र, जहानाबाद, दिनांक-19.06.2021

- प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, एन०आई०सी०, जहानाबाद को जहानाबाद के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- थाना अध्यक्ष, हुलासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- श्री सुजीत कुमार, पिता-स्व० राजेन्द्र सिंह, ग्राम-लाट, थाना-हुलासगंज, जिला-जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- एक प्रति रक्षी संचिका में।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,  
जहानाबाद।